रहन-सहन के स्तर का निर्धारित किया जाना

१४४५. **श्री ब० प्र० सिंह** : क्या योजना मंत्री दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्याय २ की कंडिका ६ (क) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के नागरिकों के रहन-सहन का कोई न्यूनतम स्तर निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Narayanankutty Menon: The original answer in English may also be read.

Mr. Speaker: Yes.

Shri L. N. Mishra: (a) No.

(b) Does not arise.

श्री ब० प्र० सिंह : क्या यह सही है कि माननीय योजना मंत्री ने एक पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि यह विषय बहुत महत्व का है और इसको विचार के लिये बहुत बार रखा भी गया है, यदि हां, तो क्या कारण है कि इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है ?

योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र) : निस्संदेह यह प्रश्न बहुत महत्व का है और हमने योजना में इसके बारे में कई जगह पर जिक्र भी किया है । लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हम इसको किस तरह से हासिल करें; इस के लिये हमने कुछ सुझाव भी दिये हैं । लेकिन किसी भी देश में कोई स्तर कायम किया गया हो, इस तरह की बात नहीं हुई है क्योंकि हालात बदलते जाते हैं और उनके मुताबिक स्तर भी ऊंचा उठता जाता है ।

श्री ब० प्र० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में निर्णय किये बिना आर्थिक विषमता और बेकारी की समस्या दूर की जा सकती है ?

श्री इया० नं० मिश्र : यह ठीक है कि एक तरह से माननीय सदस्य ने यह विचारणीय प्रश्न उठाया है । लेकिन इसका सम्बन्ध तो जीवन मान से है, जीवन स्तर से है । हम लोगों ने अपनी योजना में कहा है कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिये रोजगार के अवसर पैदा किये जाने चाहियें और उसके साथ जीवन स्तर का क्या सम्बन्ध हो यह हम मिनिमम वेजेज वगैरह से किया करते हैं जो कि विभिन्न इंडस्ट्रीज में लागू होती हैं ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यह समस्या क्या कभी नैशनल डिवेलेपमेंट काउंसिल में भी पेश की गई है और वहां पर इस पर क्या कभी कुछ बहस हुई है, यदि हां, तो कंसेंसस आफ ओपिनियन वहां क्या था ?

श्री इया० नं० मिश्र : राष्ट्रीय विकास परिषद् में प्रकारान्तर से इस समस्या पर विचार किया जाता रहा है । प्रकारान्तर यानी किस तरह से आमदनी बढ़ाई जाये, किस तरह से रोजगार की सूरतें पैदा की जायें । लेकिन खास तौर पर यह विषय किसी समय उसके सामने उपस्थित नहीं हुआ है ।

श्री स० म० बनर्जी : क्या माननीय उपमंत्री महोदय बतायेंगे कि मिनिमम लेबेल आफ लिविंग की परिभाषा उनकी दृष्टि में क्या है ?

श्री इया० नं० मिश्र : यही प्रश्न में पूछा गया है कि उसकी परिभाषा की जाये । हमने कठिनाइयां बतलाई हैं । उसकी परिभाषा करना मुश्किल होता है ।

Shri P. R. Patel: Am I to understand that the Government has not given any thought to this problem, that is,

a minimum level of clothing for the citizen?

श्री व्या० मं० सिंह : हमने कहा है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़े और उसके साथ व्यक्ति की आमदनी बढ़े और वह तब बढ़ेगी जब कि उत्पादन हम बढ़ायेंगे, लोगों के लिये रोजगार की सूरतें पैदा करेंगे और विषमता वगैरह दूर करेंगे। ये सूरतें तो हमने कुछ बताई हैं।

Shri P. R. Patel: I wanted to know whether the Government have given any thought to this matter.

Mr. Speaker: All this requires thought and it has been extended.

Dr. Sushila Nayar: Is it a fact that the United Nations had appointed an expert group to define the meaning of the level of living and the standards by which it can be measured? If so, has the Government of India received the report thereof and given any consideration to it?

Shri S. N. Mishra: To my knowledge, no such report exists. I tried to find out whether in any other country there is some such minimum level of living laid down. As I pointed out earlier, in other countries which are more advanced, the conditions change and the relative levels of living also change. But they do take care through social security measures in order to ensure that the standard of living does not fall down very much.

Dr. Sushila Nayar: The hon. Minister might look up the library. Dr. V. K. R. V. Rao was the representative from India on that committee and one volume of that report has been there for more than two years. All that I wanted to know is whether the Government has considered that report and formed any views about it.

The Minister of Labour and Employment and Planning (Shri Nanda): These are two different things. One is the question of determining what would be the minimum requirements or standard of living which will conform to the needs of health and efficiency. These efforts have been made from time to time also in the forum to which the hon. Lady Member has referred. We have the report and we have also tried to do it in this country. So far as a need based on the minimum for the purpose of wages is concerned, that is a question of determining what would be needed. It is a different thing as to how far a minimum standard could be enforced. I think we are possibly mixing up these two questions.

श्री व० प्र० सिंह : मंत्री महोदय ने १७ मई के पत्र में मुझ को लिखा कि यह विषय बहुत महत्व का है और इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है और उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है तो क्या मैं जान सकता हूं कि कब तक उस पर अन्तिम निर्णय हो सकेगा ?

श्री व्या० मं० सिंह : वह शायद उस पत्र की तरफ़ इशारा करते हैं जो उन्होंने माननीय योजना मंत्री को लिखा था। लेकिन अभी बताया गया कि जहां तक आवश्यकताओं का सवाल है उनके आधार पर तो हम तसवीर बना सकते हैं किन्तु उस आधार पर जो तसवीर बनायें उस पर अमल कैसे करें, कठिनाई इस बारे में उठती है। यह "बीड बेस्ड" लेबिल जो हो सकता है वह हम भी बना सकते हैं कंजम्पशन स्टैण्डर्ड वगैरह के आधार पर लेकिन उस पर अमल कैसे करें, इस के लिये कठिनाई है और इसीलिये कोई समय की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

Shri Nanda: May I add that all our efforts through our Plans are intended to realise this ideal of progressing towards a national minimum which should be at an adequate level?